ACS 33 - IRSC 1

RBS No.1/2014

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 87/RS(G)/779/27 New Delhi, dated 23.1.2014

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
CAO/Workshop Projects organization, 1st Floor, Chamber Bhawan, JC Road, Patna-800001.
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/RCF/RBL, Old TA Building, Kishanganj, Delhi,
CAO, RWP, Bela

Sub: Powers delegated to Zonal Railways for purchase of Printing and Stationary items.
Ref: Advance Correction Slip No.16 issued under Board's letter No. 2008/RS(G)/779/9 dt. 6.2.2009

Para 132 of Indian Railway Stores Code (Vol.1) Revised Edition (1990) regarding "Schedule of powers of purchase, sales &c., of the Controller of Stores/Chief Materials Manager" was amended vide Advance Correction Slip No.16 issued under Board's letter No. 2008/RS(G)/779/9 dt. 6.2.2009.

Para 132 of Indian Railway Stores Code (Vol.1) Revised Edition (1990) may be amended further as per **Advance Correction Slip No. 33** enclosed herewith.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

No. 87/RS(G)/779/27 New Delhi, dated 23.1.2014

Copy to:
1. FA&CAO, All Indian Railways & Production Units
2. ADAI (Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
3. The Director of Audit, All Indian Railways.

for Financial Commissioner / Railways

No. 87/RS(G)/779/27

New Delhi, dated23.1.2014

Copy to:

1. The COSs, All Indian Railways/PUs, NF(C), Metro Railway-Kolkata, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, COFMOW, DMW, WPO, RCF/RBL, and RWP/Bela
3. The Directors–
 a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 d. Sr. Prof. (Material. Management), Railway Staff College, Vadodara
 e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R K Puram, New Delhi
4. CMM/RCF/RBL, Kishan Ganj, Delhi
5. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai
6. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
7. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
8. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
9. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur
10. Dy. CMM, Workshop Projects organization, 1st Floor, Chamber Bhawan, JC Road, Patna

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

No. 87/RS(G)/779/27

New Delhi, dated23.1.2014

Copy to :

1. The General Secretary , AIRF, 4 State Entry Road , New Delhi.
2. The General Secretary , NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)(A), MOS(R)(K)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs and Advisors of Railway Board
4. All Executive Directors of Railway Board
5. All Directors of Elect., Engg., Finance, Mech., Stores, Signal & Telecom Dte. &
6. All Branches of Elect., Engg., Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

आर बी एस सं. 1/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 87/आर एस (जी) 779/27 **नई दिल्ली, दि23.01.2014**

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, (निर्माण) सहित सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां.
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद.
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता.
महानिदेशक, अअमासं, लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, बडोदरा.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना परियोजना संगठन, प्रथम तल, चैम्बर भवन,जेसी रोड, पटना-800001.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /डीएमडब्ल्यू,पटियाला तथा कॉफमो, नई दिल्ली.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /आरसीएफ/आरबीएल, ओल्ड टीए बिल्डिंग, किशनगंज,नई दिल्ली.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,आरडब्ल्यूपी, बेला.

विषय : प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी मदों की खरीद के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को प्रत्यायोजित शक्तियां.

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 6.2.2009 के पत्र सं. 2008/आरएस(जी)/779/9 के अंतर्गत जारी की गई अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 16.

भंडार नियंत्रक/मुख्य सामग्री प्रबंधक के क्रय.विक्रय आदि के प्राधिकार की अनुसूची से संबंधित भारतीय रेल भंडार संहिता(जिल्द.1) संशोधित संस्करण (1990) के पैरा 132 को बोर्ड के दिनांक 06.02.2009 के पत्र सं. 2008/आरएस(जी)/779/9 के अंतर्गत जारी की गई अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 16 द्वारा संशोधित किया गया था.

भारतीय रेल भंडार संहिता (जिल्द.1) संशोधित संस्करण, (1990) के पैरा 132 को संलग्न **अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.33** के अनुसार आगे संशोधित किया जाए.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भंडार(जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 87/आर एस (जी)/779/27 नई दिल्ली, दि.23.01.2014

प्रतिलिपि

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. भारत के अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. निदेशक लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें.

अशोक
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 87/आर एस (जी) 779/27

नई दिल्ली, दि. 23.01.2014

प्रतिलिपि :

1. सीओएस/सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण), मेट्रो रेल कोलकाता, कॉफमो, कोर,डब्ल्यूपीओ तथा आरडब्ल्यूपी/बेला.
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,कॉफमो,डीएमडब्ल्यू,डब्ल्यूपीओ आरसीएफ/आरबीएल तथा आरडब्ल्यूपी/बेला.
3. निदेशक -
 - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद.
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर.
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक.
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन) रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
 - ङ भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे.
 - च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान, आई डी ए हाउस, सेक्टर-4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली.
4. सीएमएम/आरसीएफ/आरबीएल,किशनगंज, नई दिल्ली.
5. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चेन्नै.
6. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
7. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं.,लखनऊ.
8. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ.
9. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान,सुकाड़िया सर्किल, उदयपुर.
10. डिप्टी सीएमएम/कारखाना परियोजना संगठन, पहला तल, चेम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भंडार(जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 87/आर एस (जी)/779/27

नई दिल्ली, दि. 23.01.2014

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, ए.आई.आर.एफ.,4 स्टेट एंट्री रोड,नई दिल्ली.
2. महासचिव, एन.एफ.आई.आर.,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली .
3. महासचिव, आई.आर.पी.ओ.एफ., कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली .
4. महासचिव, एफ.आर.ओ.ए.,कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, ए.आई.आर.पी.एफ.ए., कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भंडार(जी)।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :-वरि.प्रमुख निजी सचिव/प्र.नि.स./निजी सचिव:

1. रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (आर) (ए), रेल राज्य मंत्री (आर)(के).
2. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त,सदस्य इंजीनियरी,सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक,सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रे.सु.ब.),
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य एवं सलाहकार.
4. रेलवे बोर्ड के सभी कार्यकारी निदेशक.
5. बिजली,इंजी,वित्त,यांत्रिक,भंडार,सिगनल एवं दूर संचार निदेशालय के सभी निदेशक एवं
6. बिजली,इंजी.,वित्त,यांत्रिक,भंडार,सिगनल एवं दूर संचार निदेशालय की सभी शाखाएं.

Advance Correction Slip No. 33 Indian Railway Stores Code (Vol.1) Revised Edition (1990)

Para 132 regarding "Schedule of powers of purchase, sales &c., of the Controller of Stores/Chief Materials Manager"

1. Please substitute para 1 of Col. 2 of item No. 1 of ACS No. 16 i.e.

 "Purchase of stores other than stationery and printing"

 with the following:

 "Purchase of stores including stationery and printing"

2. Delete item No. 3

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 33 भारतीय रेल भंडार संहिता (जिल्द.I)
संशोधित संस्करण-(1990)

भंडार नियंत्रक/मुख्य सामग्री प्रबंधक के क्रय-विक्रय आदि के प्राधिकार की अनुसूची से संबंधित पैरा 132

1. कृपया अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 16 की मद सं. 1 के कॉलम 2 के पैरा 1 को प्रतिस्थापित करें अर्थात्

"स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग के अतिरिक्त अन्य भंडार की खरीद"

के स्थान पर निम्नलिखित:

"स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग सहित भंडार की खरीद"

2. मद सं. 3 हटा दें.
